बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्याः—2/अ0प्र0—1—425/2018 3164 /पटना, दिनांक :— 28.12.24

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल अन्तर्गत नाबार्ड योजना के तहत टी0 01 किंजर टिकारी रोड से सुरापुल एवं कुबड़ी तक सड़क निर्माण कार्य की अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 57 दिनांक 19.06.2019 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया कि अनुरक्षणाधीन पथ में पॉट—पैच का मरम्मति कहीं—कहीं किया हुआ है। फ्लैंक में मिट्टी भी डाला गया है किन्तु पथ में और भी अनुरक्षण की आवश्यकता है। पथ के शुरूआत में लगभग 20 मीटर में Edge broken है जिसकी अविलंब मरम्मति कराना आवश्यक है। एक स्थल पर रेट कट देखा गया है। रोड फर्नीचर की भी कमी है।

उपर्युक्त जॉच प्रतिवेदन के अलोक में पथ में अपेक्षित अनुरक्षण का कार्य नहीं कराने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 730 दिनांक 11.03.2024 द्वारा श्री विनोद कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल अरवल एवं अन्य अभियंताओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई। साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरवल को निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियों का निराकरण कर एवं अनुरक्षण कार्य कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल अरवल द्वारा पत्रांक 738 दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन में निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियों का निराकरण एवं अनुरक्षण कार्य करा लिये जाने का उल्लेख किया गया।

श्री कुमार द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 08.04.2024 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मुख्य अभियंता अनुरक्षण एवं उन्नयन का मंतव्य प्राप्त किया गया। मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन द्वारा समीक्षोपरान्त निम्न मंतव्य अंकित किया गयाः—

"पथ अनुरक्षण अवधि में था। जॉच के दौरान पायी गई पथ में त्रुटियों का निराकरण कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुरक्षण कार्य के तहत करा लिया गया था (पृ0 108/प0)। जिसकी पुष्टि अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल औरंगाबाद द्वारा भी प्रतिवेदित है (पृ0 146/प0)। अतः इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य माना जा सकता है।"

मामले की समीक्षोपरान्त श्री कुमार को भविष्य में सचेत रहने हेतु कड़ी चेतावनी देते हुए प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री विनोद कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल बेतिया का कार्यालय को **'कड़ी चेतावनी'** देते हुए प्रश्नगत आरोप से मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 2/अ0प्र0—1—425/2018 3164 /पटना/दिनांकः— 26.12.24

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल औरंगाबाद/बेतिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 2/अ0प्र0—1—425/2018 3164 /पटना/दिनांकः— 26.12.24

प्रतिलिपिः— श्री विनोद कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता, मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल बेतिया का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :—2/अ0प्र0—1—425/2018 3164 /पटना/दिनांकः—26.12.24

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/12/24

संयुक्त सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in